इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों के प्रकाशन की सूचना

क्र. 91-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों का मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा, कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा एवं उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवसों में निरीक्षण के लिये दिनांक 27 नवम्बर 2012 से उपलब्ध है:—

निवेश क्षेत्र की अनुसूची

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में—मानेगांव, डुंगरिया, झण्डा, खपामिट्ठेखॉ, झिरलिंगा, चारगांव, लकड़ाई जम्होड़ी.

पूर्व में—लकड़ाई, जम्होड़ी, सारना, अजनिया, सुरगी, कबाड़िया, सोनाखार, पखड़िया, अतरवाड़ा, माल्हनवाड़ा, कुकड़ाचिमन एवं अर्जुनवाड़ी.

दक्षिण में—अर्जुनवाड़ी, मैनारी, जैतपुरखुर्द, लिंगा एवं गाडरवाड़ा.

पश्चिम में—गाडरवाड़ा, सालीमेटा, खुनाझिरकलां, खैरवाड़ा, थुनियाउदना, गुरैया, कुण्डालीकलां, मोआदेई एवं मानेगांव.

यदि इस प्रकार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अथवा प्रकाशन स्थल पर प्रस्तुत करें.

वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर निर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होगी उन पर उप संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

स्थान : उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा
दिनांक : 27 नवम्बर 2020

ए. के. जैन, प्र. उप संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 20 नवम्बर 2020

क्रमांक-जि.पं.-पंचा.आ.चुना.-2020-21-5383.— मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ 16-5-2019-बाईस-पं-2, दिनांक 22 जून 2019 में दिये गये निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरान्त मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-1-11-95-22-पं.-1, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 126(1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत दी गई सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तंभ (5) के सम्मिलित ग्राम को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 34 एफ-1-36-2018-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018, अधिसूचना क्रमांक 39 एफ-1-28-2018-अठारह-3, भोपाल दिनांक 4 अक्टूबर 2018 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया गया था एवं अधिसूचना क्रमांक 89 एफ 1-08-2020-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2020 के द्वारा नगर परिषदों के गठन निरस्त किया गया था पुन: अधिसूचना क्रमांक 100 एफ 1-08-2020-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020 के द्वारा अधिसूचना क्रमांक 89 एफ-1-08-2020-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2020 को प्रतिसंहृत होने से उक्त नगर परिषदें पूर्ववत् गठित रहने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

सारणी

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भिण्ड	गोहद	मालनपुर	1. मालनपुर, 2. हरीराम का पुरा
			गुरीखा	1. खुमानकापुरा
			लहचूरा	1. लहचूराकापुरा
			सिंघवारी	1. सिंघवारी 2. घिरोंगी 3. तिलौरी
	भिण्ड	रौन	गौरई	1. गौरई
			महदवा	1. महदवा
			विरखडी	1. विरखड़ी
			चंदावली नं. 1	1. चंदावली नं. 1
			ररूआ नं. 1	1. ररूआ नं. 1
			रौन	1. रौन

वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.